न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 147/2017

1 मुकेश कुमार पुत्र मुरलीधर जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।
2 संतोष पत्नी रामकृष्ण जाति अहीर निवासी ग्राम खान्दवा जिला झुंझुनू।
3 भंवरसिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जाट निवासी देवलावास जिला झुंझुनू।
4 जगदीश प्रसाद पुत्र खेमचन्द जाति अहीर निवासी इन्द्रसर जिला झुंझुनू।
5 मुख्यतार सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी नागतिहाड़ी तहसील व जिला नारनौल (हरियाणा)।
6 रामनिवास पुत्र सुरजभान जाति ब्राहम्ण निवासी नागतिहाड़ी तहसील व जिला नारनौल (हरियाणा)।
7 वेदप्रकाश पुत्र गुलझारीलाल जाति ब्राहमण निवासी जखराना तहसील बहरोड़।
8 नागरमल लाटा पुत्र रघुवीर जाति ब्राहमण निवासी ढ़ाणी मामराज तन कावी तहसील व जिला नारनौल (हरियाणा)।
9 अनुप पुत्र बनवारीलाल।
10 मुकेश पुत्र बनवारीलाल समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी मामराज तन कावी तहसील व जिला नारनौल।
11 तारामणी देवी पत्नी रामानन्द।
12 रूपेश पुत्र रामानन्द।
13 विनय पुत्र रामानन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 रेखा पुत्री रामानन्द।
15 जयसिंह पुत्र दयानन्द।
16 शिवपाल सिंह पुत्र गुलाराम समस्त जाति अहीर निवासीगण पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
17 अनुप सिंह पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी बलावा तहसील व जिला नारनौल।
18 हंसराज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी देवलावास।
19 महिपाल सिंह पुत्र रंगलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
20 रामचन्द्र पुत्र मुरलीधर जाति जाट।
21 विश्वम्भर पुत्र चुना जाति अहीर।
22 मनीराम शर्मा पुत्र फुलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण।
23 अशोक कुमार शर्मा पुत्र फुलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण समस्त निवासीगण डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
24 शेरसिंह पुत्र लादुराम जाति अहीर निवासी ग्राम रसूलपुर।
25 राजेश देवी पत्नी लालसिंह जाति अहीर निवासी मण्डलाना तहसील व जिला नारनौल।
26 कमला देवी पत्नी बुधराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
27 जगदीश प्रसाद पुत्र खेमचन्द जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
28 नरेश कुमार पुत्र मुखराण जाति महाजन निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
29 सत्यवीर सिंह पुत्र कान्हीराम जाति अहीर निवासी रसूलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू दावा उनवानी
राजस्थान सरकार बनाम संतोष वगैरह अन्तर्गत धारा
177 आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 132/2017 निर्णय व
डिक्री दिनांक 27.10.2017

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30-6-21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 132/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.41 हैक्टेयर सरहद मौजा पचेरी कलां तहसील बुहाना के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 13.09.2017 को अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 29 के विरूद्व धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण पेश किया जो अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 के हक में दिनांक 27.10.2017 को निर्णित कर डिक्री किया गया और भूमि खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.41 हैक्टेयर सरहद मौजा पचेरी कलां को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित कर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 29 को बेदखल करने तथा भूमि को कब्जे राज लेने का हुक्म पारित हुआ। इस कारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2017 के विरूद्व अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु नही होते है। विधि अनुसार जोखिम पूर्ण कार्य कृषि भूमि पर किये जाने पर धारा 177 के प्रावधान लागु होते है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 90ए सपठित धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। यहां धारा 177 (4) के अन्तर्गत प्रकरण को दावे की प्रकिया अनुसार अपीलांट का जवाब प्राप्त कर तनकी, साक्ष्य लेकर निस्तारित किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना मात्र 44 दिन में सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 16,21,25,29 के पते भी सही दर्ज नही किये गये है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर धारा 177(4) के तहत प्रकरण निस्पादन हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता राजकीय ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु नही होते है। विधि अनुसार जोखिम पूर्ण कार्य कृषि भूमि पर किये जाने पर धारा 177 के प्रावधान लागु होते है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 90ए सपठित धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। यहां धारा 177 (4) के अन्तर्गत प्रकरण को दावे की प्रकिया अनुसार अपीलांट का जवाब प्राप्त कर तनकी, साक्ष्य लेकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निस्तारित किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना मात्र 44 दिन में सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 16,21,25,29 के पते भी सही दर्ज नही किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को धारा 177(4) के प्रावधानों के अनुरूप पुन निर्णित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30-6-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर